फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर

कल्याण व अन्य बनाम ग्राम पंचायत राहुराउली

...या / वर्ष 2/2017 अपील ____ / 20 ____

...क आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप. वास्ते बहस अपील हेतु दि० 6/8/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप. बहस हेतु अवसर चाहा वास्ते बहस अपीलान्ट दि० 3/9/24 को पेशी। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
3/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट अधि. उप. अपीलान्ट दस्तावेज पेश करना चाहते हैं वास्ते दस्तावेज हेतु 23/9/24 को पेशी बहस अपील। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
29/3/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक ... आज ... न्यायिक कार्यवाही नहीं ... साहब अन्य ... पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 1/10/24 ...	
10/24	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित बहस अपील ... व पत्रावली का ... अवलोकन करने पर अपील ... विस्तृत निर्णय ... स्वीकार की जाती है ... प्रकरण ... पत्रावली ... बाद तामील ... उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 13:19:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
अपील प्रार्थना पत्र : 08 / 2024
निर्णय दिनांक : 01.10.2024

1. कल्याण पुत्र श्री भूरा
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र
3. जगदीश पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र
4. ग्यारसी लाल पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र
5. कानहिया लाल पुत्र स्व श्री रामचन्द्र
6. जमनालाल पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र
7. विजय लाल पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र
8. कैलाश चन्द्र शर्मा पुत्र स्व.श्री रामेश्वर प्रसाद पौत्र स्व.श्री रामचन्द्र समस्त जाति वागड़ा ब्राह्मण, निवासीयान– ग्राम अनोपपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.)।

अपीलार्थीगण

वनाम

1. ग्राम पंचायत रामपुराऊंती, पंचायत समिति सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर जरिये सरपंच
2. कैलाश चंद पुत्र श्री भोलूराम पौत्रा श्री गणेश
3. श्रीमती शांति पत्नी श्री भोलूराम पुत्रवधू श्री गणेश समस्त जाति वागड़ा ब्राह्मण, निवासीयान– ग्राम अनोपपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.)।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.)।

प्रत्यर्थीगण / रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 44 दिनांक 20.11.2000

निर्णय

अपीलार्थीगण की ओर से पेश अपील का विवरण इस प्रकार है कि ग्राम–अनोपपुरा, पटवार हल्का रामपुराऊंती, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में कृषि भुमि खसरा नम्बर 71 रकबा 0.34 हैक्टेयर स्थित है। जिसमे अपीलार्थी संख्या 1 का व अपीलार्थी संख्या 2 ता 8 के पिता/ दादा का रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता/पति भोलूराम पुत्र श्री गणेश से खरीदशुदा 1/2 हिस्सा है। उक्त भुमि में 1/2 हिस्सा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता/पति भोलुराम पुत्र श्री गणेश का था जिसने उक्त भूमि में स्थित अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा व अन्य भूमि खसरा नम्बर 66, 69 व 70 में स्थित अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपीलार्थी संख्या 1 कल्याण व अपीलार्थी संख्या 2 ता 8 के पिता/दादा रामचन्द्र को मूल्यवान प्रतिफल की ऐवज में दिनांक 23.12.1999 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया तथा मौके पर कब्जा उन्हें प्रदान कर दिया, जो विक्रय पत्र उप–पंजीयक कार्यालय सांगानेर के यहां दिनांक [illegible].12.1999 को पुस्तक सं. 1, जिल्द संख्या 279 क्रम संख्या 5326 पृष्ठ संख्या [illegible]6 पर पंजीबद्ध हुआ एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 724 के पृष्ठ संख्या 118 [illegible]22 पर पंजीबद्ध किया गया। जिनमे से खसरा नम्बर 66, 69 व 70 का नामान्तरण तो खुल गया लेकिन सहवन से खसरा नम्बर 71 वाली भुमि का नामान्तरण खुलने से रह गया। इस प्रकार अपीलार्थी संख्या 1 स्वयं एवं अपीलार्थी संख्या 2 ता 8 के पिता/ दादा श्री रामचन्द्र उक्त भूमि खसरा नम्बर 71 के 1/2 भाग के व अन्य भूमि खसरा नम्बर 66, 69 व 70 स्थित ग्राम अनोपपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर के मालिक, स्वामी व कब्जेधारी हुए तथा उक्त विक्रय पत्र निष्पादन की दिनांक 23.12.1999 के पश्चात से विक्रेता भोलुराम व उसके वारिसान का

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 13:19:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उक्त बेचान की गई भूमियों से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा। अपीलार्थी संख्या 1 कल्याण एवं अपीलार्थी संख्या 2 ता 8 के पिता/दादा श्री रामचन्द्र को उनकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमियों से महरूम करने के उद्देश्य से अपीलार्थीगण को बिना सूचना व बिना नोटीस जारी किये ही व बिना सुनवाई का अवसर दिये ही तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का हनन करते हुये बाला बाला रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ने अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 44 दिनांकित 20.11.2000 के तहत अपीलार्थी संख्या 1 व अपीलार्थी संख्या 2 ता 8 के पिता/दादा की क्रयशुदा भूमि खसरा नम्बर 71 को अन्य भूमियों के साथ विरासत के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या-2 व 3 अपने नाम करवा लिया, उपरोक्त आलोच्य नामान्तरण के विरुद्ध निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत की जा रही है:-

(क) यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या-1 ग्राम पंचायत महोदय द्वारा पूर्व में दिनांक 23.12.1999 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 पिता/पति भोलुराम द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 व अपीलार्थी संख्या 2 ता 8 के पिता/दादा श्री रामचन्द्र को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 23.12.1999 के तहत बेचान की गई भूमि खसरा नम्बर 71 के बावत विरासत का नामान्तकरण भोलुराम के वारिसान के हक में तस्दीक किया गया उक्त नामान्तरण आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण एवं अवेध व शुन्य होने के कारण निररत किये जाने योग्य है।

(ख) अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक किये जाते समय माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रचलित विधि व न्याय शास्त्रो के सिद्धान्तो का प्रर्याप्त परिशिलन नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरण मनमाना व विधि विरुद्ध है तथा प्रारम्भ से ही शुन्य है व निरस्तनीय है।

(ग) माननीय अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 द्वारा ना तो अपीलार्थी संख्या 1 एवं अपीलार्थी संख्या 2 ता 8 के पिता/दादा श्री रामचन्द्र एवं अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किया गया तथा ना ही कब्जे के बारे में जानकारी ली गई तथा ना ही मौके पर वास्तविकता के सम्बन्ध में कोई जांच की गई। अगर माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही की जाती तो उक्त अपीलाधिन नामान्तरण के तहत भोलुराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान की गई उक्त भूमि खसरा नम्बर 71 के बाबत विरासत का नामान्तरण तस्दीक करना संभव नही था। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरण मनमाना व विधि विरुद्ध एवं शुरु से ही शुन्य होने से श्रीमान द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है।

(घ) अपीलार्थी संख्या 1 एवं अपीलार्थी संख्या 2 ता 8 के पिता/दादा उक्त भूमि खसरा नम्बर 71 में रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता/पति भोलुराम के हिस्से 1/2 के जरिये (रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.12.1999 के आधार पर मालिक, स्वामी एवं कब्जेधारी है। अपीलाधीन नामान्तरण तस्दीक करने से पुर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टीगत रखते हुये अपीलार्थीगण व उनके पति/पिता/वारिसान को सुनवाई हेतु नोटिस दिया जाना कानुनन आवश्यक था जिसकी पालना अधिनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नही की गई। इसलिये नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर ही उक्त नामान्तरण निरस्त किये जाने योग्य है।

(ङ) विवादित भूमि खसरा नेम्बर 71 के 1/2 हिस्से के मालिक, स्वामी भोलुराम पुत्र श्री गणेश से उसके हिस्से 1/2 सम्पूर्ण को दिनांक 23.12.1999 को अपीलार्थी संख्या 1 कल्याण व अपीलार्थी संख्या 2 ता 8 के पिता/दादा श्री रामचन्द्र द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया [illegible] उसके पश्चात से भूमि खसरा नम्बर 71 से उक्त विक्रेता भोलुराम पुत्र श्री गणेश [illegible] उसके वारिसान रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ता 3 व अन्य का कोई सम्बन्ध व [illegible] नही था तथा इसी प्रकार विक्रेता भोलुराम पुत्र श्री गणेश के पुत्र [illegible] संख्या 2 व पत्नी रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 व अन्य वारिसान को उक्त भूमि उपरोक्तानुसार अपीलार्थीगण द्वारा क्रय कर लेने के तथ्यों का भी ज्ञान था जिस कारण उक्त भूमि का विरासत के आधार पर नामान्तरण भोलुराम पुत्र श्री गणेश के वारिसान के नाम नही खोला जा सकता था, उसके बावजूद रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ता 3 ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से मिलीभगत करके उक्त भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 13:19:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नम्बर 71 के बाबत भी आलौच्य नामान्तरण खुलवा लिया, इसलिये भी आलोच्य नामान्तरण मात्र इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 20.11.2000 का है जो शुरू से ही अवैध एवं शून्य है जिसका कोई विधिक अस्तित्व नही है जिसकी जानकारी होने पर मिन अपीलार्थीगण द्वारा सर्वप्रथम तहसीलदार महोदय के यहाँ एवं राजस्व कैम्पों में कार्यवाही की गई, परन्तु उनके द्वारा रेस्पोडेन्टस की सहमति के बिना कार्यवाही नही करने बाबत अभी हाल ही में वर्ष 2017 के राजस्व कैम्प में मना कर दिया। इस पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 से मिला व उन्हे उक्त बैचान की हुई भूमि नाम करवाने के लिये कहा तो वे समय टालते रहे व दिनांक 12.11.2017 को उन्होने उक्त भुमि खसरा नम्बर 72 अपीलार्थीगण के नाम करवाने के लिये मना कर दिया जिस कारण उक्त अवैध, शून्य नामान्तारण के बाबत श्रीमान के यहा ही अपील पेश की जा रही है। ऐसी स्थिति मे उक्त अपील को प्रस्तुत करने में हुई देरी की छुट हेतु अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 44 को खसरा नम्बर 71 रकबा 0.34 हैक्टेयर की सीमा तक निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 तहसीलदार महोदय को आदेश दिया जावे कि वह अपीलार्थीगण के नाम विक्रय पत्र दिनांक 23.12.1999 के तहत उक्त क्रय की गई भूमि खसरा नम्बर 71 का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थीगण के नाम करे। अन्य कोई अनुतोष जो अपीलार्थीगण के हक में उचित हो प्रदान करने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 3 बावजूद तामिल उपस्थित नही। उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस वकील अपीलार्थीगण अधिवक्ता सुनी गई। दौराने अपीलार्थीगण अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये अंत में निवेदन किया कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 44 को खसरा नम्बर 71 रकबा 0.34 हैक्टेयर की सीमा तक निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 तहसीलदार महोदय को आदेश दिया जावे कि वह अपीलार्थीगण के नाम विक्रय पत्र दिनांक 23.12.1999 के तहत उक्त क्रय की गई भूमि खसरा नम्बर 71 का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थीगण के नाम करे। अन्य कोई अनुतोष जो अपीलार्थीगण के हक में उचित हो प्रदान करने की कृपा करे।

बहस अपीलार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर अपील अपीलन्ट स्वीकार की जाकर ग्राम–अनोपपुरा, पटवार हल्का रामपुराऊंती, तहसील सांगानेर, ज़िला जयपुर द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या नामान्तकरण संख्या 44 दिनांक 20.11.2000 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्णय की प्रति प्रेषित की जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम–अनोपपुरा, पटवार हल्का रामपुराऊंती, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर द्वारा [illegible] नामान्तकरण संख्या 44 की उभयपक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर [illegible] निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को खुले [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 13:19:03 IST
Reason: SelfAttested

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर